उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0:—2349—शि0जाँ0—05सी / पाकालि / 2019—7(103)05सी / 04 दिनांक: 18 अक्टूबर, 2019

पंजीकृत श्री शैलेश कुमार जैन (88127),
सहायक अभियन्ता,
द्वारा श्री के0 के0 जैन,
26 / सी / 2, दरभंगा कैसल,
पार्करोड,
इलाहाबाद।

पंजीकृत श्री शैलेश कुमार जैन (88127),
सहायक अभियन्ता,
द्वारा श्री बी0 डी0 जैन,
डी—64, कमलानगर,
आगरा।

विषय:— प्रस्तावित वृहद दण्ड के विरूद्व अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

आप द्वारा विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, नोयडा में सहायक अभियन्ता (मीटर) के पद पर तैनात रहते हुए, दिनांक 12.11.2002 से दिनांक 05.12.2002 तक (24 दिनों) के स्वीकृत उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान करने के उपरान्त अद्यतन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

आपको उक्त लम्बी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के गम्भीर कदाचरण, कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना एवं अनुशासनहीनता के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए आपके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के आदेश संख्या 6131 / प0वि0वि0नि0लि0 / मेरठ / डी0पी0 / 105 दिनांक 16.04.2014 द्वारा श्री ए0के0 आत्रेय, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय पत्र संख्या—2409 / वि0न0प0खं0प्र0 / गा0बाद, दिनांक 02.07.2014 द्वारा आरोप पत्र आपके पत्र व्यवहार एवं स्थायी, दोनों पतों पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये गये। डाक विभाग द्वारा उक्त दोनों पत्र इस टिप्पणी के साथ वापस आ गये कि "उक्त पते पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है।"

पुनः जाँच अधिकारी द्वारा पत्रांक 6189 / वि0वि0खं0ग0 / एस0के0जैन स0अ0 / जांच दिनांक 13.08.2015 के माध्यम से आपके स्थायी आवसीय पते पर आरोप पत्र पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया, जो वापस प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त के क्रम में, पुनः जाँच अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 12309 / प0वि0वि0नि0लि0 / मेरठ दिनांक 22.12.2015 द्वारा पंजीकृत डाक से आपको आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जो डाक विभाग की इस अभ्युक्ति के साथ वापस प्राप्त हुआ कि उक्त पते पर इस नाम से कोई व्यक्ति नहीं रहता। तत्पश्चात दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण, इलाहाबाद संस्करण तथा हिन्दुस्तान टाईम्स, लखनऊ संस्करण में दिनांक 09.02.2016 को निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी :—

"श्री शैलेश कुमार जैन, अभिज्ञान सं0 88127 है तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधीन पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात थे, को दिनांक 12.12.2002 से अपना कार्यभार ग्रहण न करने के आरोप में आरोप पत्र उनके स्थायी आवासीय पते 26 / सी / 2, दरभंगा कैसल, पार्करोड, इलाहाबाद पर भेजा गया था, जो इस कार्यालय

को वापिस प्राप्त हो गया है। श्री शैलेश कुमार जैन को सूचित किया जाता है कि वह कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में श्री ए0के0 आत्रेय, अधीक्षण अभियन्ता(रेड) एवं जाँच अधिकारी के कमरा नं0 106 में दिनांक 17.02.2016 अथवा उससे पूर्व उपस्थित होकर अपना आरोप पत्र प्राप्त करें एवं आरोप पत्र की तिथि से एक सप्ताहन्त में आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों का उत्तर प्रेषित करें। निर्धारित तिथि तक आरोप पत्र प्राप्त न करने की स्थितिं में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है, उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में गुणावगुण के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।"

इस प्रकार जॉच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के सम्बन्ध में आपसे दीर्घावधि तक किये गये पत्राचार एवं प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के उपरान्त भी आप द्वारा न तो विभाग से सम्पर्क किया गया और न ही आरोप पत्र का उत्तर दिया गया।

फलस्वरूप, जॉच अधिकारी द्वारा आपके विरूद्व एक पक्षीय जॉच कार्यवाही करते हुए, जॉच आख्या पत्र संख्या–5184/वि0न0वि0मं0--मु0नगर/जॉच (शैलेश कु0 जैन), दिनांक 10.12.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित की गयी। जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच आख्या का संगत अभिलेखों के दृष्टिगत परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि आप पर अपने कार्यस्थल से बिना सूचना के दिनांक 06.12.2002 से आज तक लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप सिद्ध होता है। यद्यपि उ0प्र0 मूल नियमावली, 1942 (वित्तीय हस्त पुस्तिका) का मूल नियम 18 तथा संशोधित नियम 18^2 में निहित प्राविधानानुसार 05 वर्षों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर चाहे अवकाश पर रहते हुए या बिना अवकाश के, सरकारी सेवा में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्रस्तर–3 दीर्घ शास्तियाँ (तीन) में निहित प्राविधानानुसार आपको **"सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो" (Removal from service which does not disqualify from future employment)** का दण्ड प्रस्तावित किया जाता है।

अतः जाँच अधिकारी के पत्र संख्या–5184/वि0न0वि0मं0–मु0नगर/जॉच (शैलेश कु0 जैन), दिनांक 10.12.2018 से प्राप्त जाँच आख्या की छायाप्रति संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के निर्गमन के 14 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन कारपोरेशन (मुख्यालय) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयावधि में आपका अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा गुण–अवगुण के आधार पर यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

आलोक

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष